

प्रेस नोट थाना चिलुआताल गोरखपुर दिनांक 10.08.2022

चाकू से पत्नी का गला रेतकर घायल कर देने के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कैम्पिंगंज के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रदीप शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10.08.2022 को उ०नि० अभय उपाध्याय मय हमराह द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना चिलुआताल पर पंजीकृत मु०अ०सं० 313/2022 धारा 307 भादवि० से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल जब्बार पुत्र मु० समीद सेख निवासी ग्राम बनगाई थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर को घटना मे प्रयुक्त एक अदद चाकू के साथ झुगिया चुंगी से दिनांक 09.08.2022 को समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता--

अब्दुल जब्बार पुत्र मु० समीद सेख निवासी ग्राम बनगाई थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

पर झुगिया चुंगी से से समय करीब 11.00 बजे दिनांक 09.08.2022

बरामदगी का विवरण:—

घटना मे प्रयुक्त चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 313/2022 धारा 307 भादवि० थाना चिलुआताल गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 362/2022 धारा 498ए,323,504,506,406, भादवि० व ¼ डीपीएक्ट थाना गुलरिहा गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ०नि० अभय उपाध्याय थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर
2. का० मनोज कुमार सोनकर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर